टाल दिया।

Rajasthan Patrika
19 Aug 2016

जाली आईएसआई मार्क वाले पेयजल के 20 कैन जब्त

चेन्नई. भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों की एक टीम ने आईएसआई मार्क के संदिग्ध दुरुपयोग की गुप्त सूचना पर चेन्नई एवं कांचीपुरम जिलों में प्रवर्तन खोज एवं जब्ती अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वेस्ट मांबलम में 20 लीटर पेयजल के 48 जार जब्त किए। इसी तरह ईश्वरर नगर से 9 जार एवं मूवेन्द्र नगर से 46 जार जब्त किए।

Times of India 19 Aug 2016

BIS officials find misuse of the ISI mark

Chennai: A team of officials from Bureau of Indian Standards (BIS), Southern Regional Office, conducted a search on Wednesday in the city and Kancheepuram district on information of suspected misuse of ISI mark. They found 48 20-litre PET jars filled with packaged drinking water bearing ISI mark of other licensed manufacturer. The offence is punishable with imprisonment up to one year or a fine up to ₹50,000 or both as per BIS Act, 1986. TNN

Dakshin Bharat Rhashtramat
19 Aug 2016

जाली मार्क वाले 20 लीटर के पेयजल जार जब्त किए गए

चेन्नई। भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों की एक टीम को मार्क की संदिग्ध दुरुपयोग की गुप्त सूचना प्राप्त होने के बाद कदम उठाते हुए बुधवार को को चेन्नई और काँचीपुरम जिले में प्रवर्तन खोज और जब्ती अभियान चलाया गया। जिसमें वेस्ट माम्बलम में पेयजल से भरे 20 लीटर के 48 जार, ईश्वरनगर से 9 जार, मुवेन्दर नगर से 46 जार को जब्त किया गया है इन जारों पर अन्य निर्माताओं के सीएम/एल संख्या मुद्रित थी। भारतीय मानक ब्यूरो के अधिनियम 1986 के (धारा 33) के तहत उल्लंघन के विरुद्ध दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत चेन्नै शाखा कार्यालय-2 (दक्षेका) द्वारा कार्यवाई की जा रही है। अपराध की सजा के लिए अधिकत्तम एक वर्ष का कारावास या 50,000/- तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने जनता से अनुरोध किया है कि किसी भी मामले में किसी उत्पाद पर मार्क के दुरुपयोग की सूचना मिलती है तो इसकी सूचना फोन नंबर 044-22541076 पर दी जा सकती है।